2/3/2020 अपीलार्थी उपस्थित नहीं। पी.आई.ओ. साहब डीगर शासकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23.3.2020 को पेश हो

(हस्ताक्षर)

8.7.2020 कोरोना महामारी के फैलाव के कारण पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) से टिप्पणी प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 23.12.2019 को आवेदन किया। आवेदन द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना अस्पष्ट एवं काल्पनिक होने के कारण में पत्रांक 212 दिनांक 23.01.2020 से अपीलाण्ट को सूचित किया गया। आर0टी0आई0 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा जो सूचना मांगी जाती है उसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन में किया जाना आवश्यक है इस बावत आवेदक को अवगत कराया जा चुका है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दू संख्या 3 में यह स्पष्ट है कि, " **सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्यवस्था करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है, जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।**"इस संबंध में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का पूर्ण विवरण, क्रमांक, दिनांक स्पष्ट तौर पर अपने आवेदन मे अंकित करना आवश्यक है कि उसको कौन–कौन सी सूचनाएं चाहिए। अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन में ऐसे कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रतिलिपी अपीलाण्ट को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम किया जावे।

(हस्ताक्षर)

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर